

भारत की परमाणु ऊर्जा में नजी नविश

प्रलिमिस के लिये:

परमाणु ऊर्जा, भारत के ऊर्जा लक्ष्य, परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE), राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC), परमाणु ऊर्जा नियमक बोर्ड (AERB)

मेन्स के लिये:

भारत की परमाणु ऊर्जा से संबंधित विकास, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के तरीके।

स्रोत: द हैट्टी

चर्चा में क्यों?

भारत नजी कंपनियों को लगभग 26 बलियिन अमेरिकी डॉलर का नविश करने हेतु आमंत्रित करके अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिलाने के लिये तैयार है, जो इसकी ऊर्जा नीति में एक महत्वपूर्ण विस्थापन का प्रतीक है।

- इस कदम का उद्देश्य गैर-कारबन उत्सर्जक स्रोतों से विद्युत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ संरेखति करना है।

नजी नविश पहल भारत के ऊर्जा लक्ष्यों के साथ कसि प्रकार संरेखति है?

- भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपनी गैर-जीवाशम ईंधन-आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता को मौजूदा 42% से बढ़ाकर 50% करना है।
- परमाणु ऊर्जा उत्पादन में नजी नविश का समावेश इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे देश में अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ओर संकरण को बढ़ावा मिलेगा।
 - सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 440 बलियिन रुपए (5.3 बलियिन डॉलर) के नविश के लिये रलियांस इंडस्ट्रीज, टाटा पॉवर, अदानी पॉवर और वेदांता लमिटेड जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ समझौता वार्ता कर रही है।
- सरकार का लक्ष्य इस नविश के माध्यम से वर्ष 2040 तक 11,000 MW (मेगावाट) नवीकरणीय परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता जोड़ना है।
- इस पहल से भारत के ऊर्जा मशिरण में विधिता आने, जीवाशम ईंधन पर नियंत्रित कम होने और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धिकी उम्मीद है।

भारत के ऊर्जा लक्ष्य

- शुद्ध शून्य उत्सर्जन:** भारत का लक्ष्य वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करना है।
- नवीकरणीय ऊर्जा:** भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपनी 50% विद्युत ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना है।
- गैर-जीवाशम ईंधन ऊर्जा:** भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट की गैर-जीवाशम ईंधन ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है।
- हरति हाइड्रोजन:** भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5 मलियिन टन हरति हाइड्रोजन का उत्पादन करना है।
- CO2 उत्सर्जन:** भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक CO2 उत्सर्जन को 1 बलियिन टन तक कम करना है।

नविश योजना कसि प्रकार क्रियान्वति होगी?

- नजी कंपनियाँ परमाणु संयंत्रों में नविश करने, भूमि एवं जल का अधिग्रहण करने और नियमान गतिविधियों के लिये जमिमेदार होंगी।
- हालांकि कानूनी प्रावधानों के अनुसार, परमाणु स्टेशनों के नियमान, संचालन और प्रबंधन के साथ-साथ ईंधन प्रबंधन का अधिकार राज्य

- संचालित न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) के पास होगा।
- नजीब कंपनियों को विद्युत ऊर्जा के विक्रय से राजस्व उत्पन्न करने की उम्मीद है, जबकि NPCIL शुल्क के लिये परियोजनाओं का संचालन करेगा।


नोट:

- भारत की समेकति [प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति](#) परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश पर रोक लगाती है।
 - इसके विरोध, परमाणु ऊर्जा संयंतरों और अन्य संबंधित सुविधाओं के लिये परमाणु उपकरण तथा पार्ट-पुर्जों के नियमानुसार के लिये उदयोग में FDI पर कोई प्रत्यक्षित नहीं है।
- 'परमाणु ऊर्जा' के विषय [भारत के परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962](#) द्वारा शास्ति है और भारत सरकार परमाणु सुविधाओं के विकास, संचालन एवं प्रत्यक्षित/सेवामुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- हाल ही में [नीति आयोग \(नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया\)](#), पैनल ने भारत सरकार से भारत के परमाणु क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की अनुमति देने की अनुशंसा की।

भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- **मौजूदा ऊर्जा परिवर्तन:**
 - वर्तमान में भारत की कुल संस्थापित ऊर्जा क्षमता 428 गीगावॉट है जिसमें वर्ष 2030 तक 810 गीगावॉट के साथ दोगुना वृद्धि होने की उम्मीद है।
 - भारत के ऊर्जा मशिनरी में परमाणु ऊर्जा का योगदान लगभग 3% है।
- **वर्तमान परमाणु ऊर्जा परिवर्तन:**
 - भारत 22 परमाणु ऊर्जा रिक्टर का संचालन करता है जिनकी कुल क्षमता 6.8 गीगावॉट है जिसका देश के ऊर्जा मशिनरी में लगभग 3% का योगदान है।
 - अतिरिक्त 11 परमाणु ऊर्जा संयंत्र नियमानुधीन हैं, जिनका लक्ष्य कुल क्षमता में 8,700 मेगावाट की वृद्धि करना है।
 - इसमें रूसी तकनीक पर आधारित एक [परोटोटाइप फास्ट बरीडर रिक्टर \(PFBR\)](#) और चार [दाबयुक्त भारी जल रिक्टर](#) शामिल हैं।
 - सरकार ने वर्ष 2031 तक महत्वपूर्ण क्षमता वसितार के लक्ष्य के साथ दस स्वदेशी दाबयुक्त भारी जल रिक्टर (PHWR) को भी मंजूरी दी जिनकी क्षमता 700 मेगावाट है।

भारत में क्रियात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र



दब्दिय

- वर्तमान में, भारत के 6 राज्यों में 6780 मेगावाट इलेक्ट्रिक (MWe) की स्थापित क्षमता के साथ 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं।
- परमाणु सुविधाओं की स्थापना व उपयोग और रेडियोधर्मी स्रोतों के उपयोग से संबंधित गतिविधियाँ भारत में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अनुसार की जाती हैं।
- परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) परमाणु एवं विकिरण सुविधाओं तथा गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
- नवीनतम और सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र: कुडनकुलम पावर प्लांट, तमिलनाडु
- पहला और सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र: तारापुर पावर प्लांट, महाराष्ट्र

■ प्रमुख संगठन और विधियांक ढाँचा:

○ प्रमुख संगठन:

- **परमाणु ऊर्जा विभाग**, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम (NPCIL) और **राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड** प्रमुख संगठन हैं जो भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 - ये तीनों केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं।
 - सभी परमाणु ऊर्जा संयंतरों (इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (IGCAR), DEA के स्वामित्व वाले PFBR बेररिंट के आतरिकित) का सवामित्व NPCIL के पास और साथ ही यह इन सभी का संचालक भी है। यह भारत में सभी परमाणु विद्युत के लिए प्राथमिक संपर्क के रूप में भूमिका निभाता है।
 - NTPC कोयले से विद्युत का उत्पादन करने वाला प्रमुख उत्पादक है और इसकी क्षमता 70GW है तथा यह पुराने कोयला संयंतरों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने हेतु परमाणु रेक्टरों को अपनाने का आवाहन करता है।

○ नियामक नियीक्षण:

- **परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड** साइट चयन, नरिमाण, संचालन और डीकमीशनिंग सहित परमाणु सुरक्षा तथा नियामक प्रक्रयाओं की देखरेख करता है।
- AERB का उत्तरदायत्व विभिन्न क्षेत्रों में परमाणु अनुप्रयोगों की देखरेख करने तक वसितारति है।

■ परमाणु दायत्व और बीमा:

- भारत ने वर्ष 2016 में परमाणु क्षेत्रिक लिये पूरक क्षतिपूरता (CSC) पर अभियान की पुष्टिकी जिससे विशेष में घटति होने वाली परमाणु दुर्घटनाओं के लिये क्षतिपूरता विवरण स्थापना हुई।
- परमाणुवीय नुकसान के लिये सविलि दायत्व अधिनियम (Civil Liability for Nuclear Damage Act- CLND), 2010 संचालकों के लिये देनदारियाँ निर्धारित करता है और संभावित नुकसान की क्षतिपूरताके लिये बीमा की अनिवार्यता करता है।
- **भारतीय सामान्य बीमा निगम** और अन्य बीमाकर्त्ताओं द्वारा समर्थित भारतीय परमाणु बीमा पूल (INIP), आपूर्तकिरत्ताओं को देयता दावों से बचाने के लिये 15 बलियन अमेरिकी डॉलर का कवरेज प्रदान करता है।

■ चुनौतियाँ:

○ सुरक्षा एवं संरक्षा मानक:

- भारत के परमाणु ऊर्जा संयंतरों की विशेषकर प्राकृतिक अथवा मानव जनति आपदाओं की स्थिति में सुरक्षा की कमी और संरक्षा मानकों के संबंध में आलोचना की जाती है।
- उन पर रेडियोधरमी संदूषण, जलवायु परविरतन और क्षरण का भी आरोप लगाया जाता है जिससे शर्मकों का स्वास्थ्य तथा प्रयावरण प्रभावित होता है।
 - उदाहरणार्थ तमलिनाडु में स्थिति कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कर्नाटक में स्थिति कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को इन मुद्दों का सामना करना पड़ा।

○ परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन:

- भारत ने अपने परमाणु अपशिष्ट के प्रबंधन और निपटान के लिये कोई व्यापक तथा दीर्घकालिक योजना विकसित नहीं की है। इसके रेडियोधरमी पदारथों के लिये पर्याप्त भंडारण और परविहन सुविधाओं का भी अभाव है।

○ भूमि अधिग्रहण:

- परमाणु ऊर्जा संयंतरों के लिये भूमि सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण बाधाएँ आती हैं, जिससे कुडनकुलम (तमलिनाडु) और कोववाडा (आंध्र प्रदेश) जैसी पर्यावरणीय ऊर्जा के विपरीत, परमाणु ऊर्जा को पर्याप्त सबसेडी नहीं मिली है, जिससे यह ऊर्जा बाजार में कम प्रतिस्पर्धी हो गई है।

○ सार्वजनिक धन की कमी:

- जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा के विपरीत, परमाणु ऊर्जा को पर्याप्त सबसेडी नहीं मिली है, जिससे यह ऊर्जा बाजार में कम प्रतिस्पर्धी हो गई है।

■ वसितार के अवसर:

- भारत का लक्ष्य अपने ऊर्जा मशिरण में परमाणु ऊर्जा की हस्तिदारी 3% से बढ़ाकर 9-10% करना है।
- परमाणु क्षेत्र विदेशी और नजीब कंपनियों के लिये, विशेष रूप से बजिली संयंतरों के गैर-परमाणु भागों एवं नरिमाण तथा सेवा क्षेत्र में, अवसर प्रदान करता है।
- **समॉल मॉड्युलर रेक्टर (SMR)** प्रौद्योगिकी साझाकरण और साझेदारी की क्षमता के साथ, लागत-बचत तथा नरिमाण समय को कम करने का एक आशाजनक अवसर प्रस्तुत करते हैं।
- परमाणु ऊर्जा ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं के लिये एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत प्रदान करिया जा सकता है।
- पुराने कोयला संयंतरों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के साथ, परमाणु ऊर्जा भारत की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने और इसके स्वच्छ ऊर्जा लक्षणों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्षों के प्रश्न

?????????????????

प्रश्न. भारत में, क्यों कुछ परमाणु रेक्टर "आई.ए.ई.ए. सुरक्षा उपायों" के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? (2020)

(a) कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का

- (b) कुछ आयातति यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूरतिका
(c) कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा
(d) कुछ सरकारी स्वामतिव वाले होते हैं और अन्य नजीबी स्वामतिव वाले

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- परमाणु सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सुरक्षा उपायों के तहत रखा जाता है यद्यूरेनियम का स्रोत, जो परमाणु रिएक्टर के लिये वर्खिंडनीय सामग्री है, भारतीय क्षेत्र के बाहर से है या यद्यन्ने रिएक्टर संयंत्र विदेशी सहयोग से स्थापित किया गया है।
- यह सुनिश्चित करने हेतु है कि आयातति यूरेनियम को सैन्य उपयोग के लिये नहीं भेजा गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि आयातति यूरेनियम का उपयोग नागरिक उद्देश्यों के लिये परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु किया जाता है।
- वर्तमान में 22 परियालन रिएक्टर हैं, जिनमें से 14 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सुरक्षा उपायों के तहत हैं क्योंकि इनमें आयातति ईंधन का उपयोग किया जाता है।
- सुरक्षा उपाय समझौते के तहत, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के पास यह सुनिश्चित करने का अधिकार और दायतिव है कि विशेष उद्देश्य के लिये राज्य के क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र अथवा नियंत्रण में सभी परमाणु सामग्री पर सुरक्षा उपाय लागू किये जाते हैं।

अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

?????:

प्रश्न. प्रश्न. ऊर्जा की बढ़ती हुई ज़रूरतों के परिप्रेक्ष में क्या भारत को अपने नाभकीय ऊर्जा कार्यक्रम का वसितार करना जारी रखना चाहिये? नाभकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्यों और भयों की विचना कीजिये। (2018)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/private-investments-in-india-s-nuclear-energy>